

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email: rajssa_cmecc@yahoo.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : राप्राशिप / जय / सामु.गति / 2017-18 / 2656

दिनांक : 9/6/17

जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

अति आवश्यक

विषय :- विद्यालय प्रबंधन समितियों का आयकर अधिनियम की धारा-80 जी के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालय प्रबंधन समितियों को आयकर अधिनियम की धारा-80 जी के अन्तर्गत पंजीयन हेतु राजस्थान सहकारी संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का सहकारी संस्था विभाग में पंजीयन आवश्यक है। इस हेतु महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव सहकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : प.4(5)सह/1991/पार्ट जयपुर दिनांक 29.05.2017 की अनुपालना में राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) का पंजीयन शुल्क ₹ 250/- कर दिया गया है।

अतः आप अपने जिले की एसएमसी का रजिस्ट्रेशन अविलम्ब करवाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

संलग्न :- पत्र संयुक्त शासन सचिव,
सहकारिता विभाग, जयपुर


(डॉ.आकाशदीप अरोड़ा)
उपायुक्त (सामु.गति)

क्रमांक : राप्राशिप / जय / सामु.गति / 2017-18 / 2657

दिनांक : 9/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, आयुक्त राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. अति.जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त-जिले।
4. रक्षित पत्रावली।


(डॉ.आकाशदीप अरोड़ा)
उपायुक्त (सामु.गति)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, बीकानेर

क्रमांक :- जिपस / सशिअ / बीका / सामु.गति / 16-17 / 7270-76

दिनांक :- 09.06.17

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक

मूल पत्र भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।


अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक: प.4(5)सह/1991/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29.05.2017

अधिसूचना

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 के अधिनियम संख्या-28) की धारा-3 की उप धारा (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से अधिसूचना क्रमांक प. 4(5) सह/1991 दिनांक 03.05.2012 में दिये गये परन्तुक के विन्दु संख्या 4 के पश्चात विन्दु संख्या 5 निम्नानुसार प्रविष्ट करती है:-

5- राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) का पंजीयन शुल्क ₹ 250/-

राज्यपाल की आज्ञा से.

Sol

(सुखवीर सैनी)

संयुक्त शारान सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियाँ सहित भेजकर लेख है कि इस साधारण राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए एक प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
8. गार्ड फत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव